30

# चिकित्सा परिचर्या नियम

## (MEDICAL RE-IMBURSEMENT RULES)

इस संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 बनाये गये है। ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 23-1-59 तथा 8 जून 1973, भाग 4 (ग) पृष्ठ 279 से 533 में पुनः प्रकाशित किये गये है। यही नियम छत्तीसगढ़ राज्य में भी लागू माने गये हैं।

**1. ये नियम निम्न पर लागू हैं**

(1) राज्य शासन के नियन्त्रणाधीन समस्त शासकीय सेवक जब वे छत्तीसगढ़ के भीतर कर्त्तव्य पर हों, प्रतिनियुक्ति पर हों, छुट्टी पर हों या निलम्बनाधीन हों, निःशुल्क उपचार के पात्र होंगे।

(2) संविदा के आधार पर नियोजित शासकीय कर्मचारी।

(3) प्रशिक्षणाधीन या कर्तव्यस्थ नगर सैनिक।

(4) आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले पूर्णकालिक कर्मचारी।

(5) समस्त विभागों या राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं में मासिक वेतन पर नियोजित कार्यभारित स्थापना (वर्क चार्ज इस्टाब्लिशमेण्ट) के सदस्य। [नियम 1 (2)]

**2. ये नियम निम्नलिखित को लागू नहीं हैं**

(1) सेवानिवृत शासकीय कर्मचारी;

(2) अंशकालीन शासकीय कर्मचारी;

(3) अवैतनिक कर्मचारी।

**3. चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु परिवार की परिभाषा- परिवार में शामिल हैं**

(1) शासकीय कर्मचारी की पत्नी या पति; जैसी भी स्थिति हो;

(2) ऐसे शासकीय कर्मचारी के साथ रहने वाले और उस पर पूर्णतः आश्रित उसके माता-पिता, धर्मज सन्तान, जिनमें विधिक रूप से गोद ली गई सन्तान तथा सौतेली सन्तान भी सम्मिलित है। [नियम 2 (घ) ]

बच्चों के मामले में केवल तीन जीवित बच्चों तक ही प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त होगी। तीन बच्चों वाला प्रतिबंध 27-9-70 से लागू हुआ है। इसके पहले जितने भी बच्चे पैदा हुए सभी के इलाज पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी। इस दिनांक के बाद पैदा हुए चौथे बच्चे या उससे आगे पैदा हुए बच्चों को निःशुल्क इलाज की पात्रता नहीं होगी।

(3) विधिवत् तलाकशुदा पुत्री जो शासकीय सेवक पर पूर्णतः आश्रित हो।

[लोक स्वास्थ्य विभाग क्रमांक 5549/4214/XVII/Med.III, दिनांक 25-8-64]

**टीप-** शासकीय सेवक पर आश्रित उसके परिवार के सदस्य यदि शिक्षा, इलाज या अन्य सुविधा की दृष्टि से शासकीय सेवक के मुख्यालय पर न रहकर अलग निवास करते हों तो भी उसे चिकित्सकीय व्यय पर हुये खर्चे की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

[लोक स्वास्थ्य विभाग क्रमांक 2273/1697/XVII/Med.III, दिनांक 5-5-60]





(4) विवाहित महिला कर्मचारियों के मामले में उसके माता-पिता जो उस पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं, बशर्ते महिला कर्मचारी इस बाबत घोषणा पत्र दे।

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग क्रमांक एफ. 2/60/1980/XVII/ Med.3, दिनांक 23-2-1981]

(5) यदि तीसरी प्रसूति में जुड़वां बच्चा पैदा होता है तो उसे चिकित्सा सुविधा पाने की पात्रता होगी।

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग क्रमांक 128/2764/17/मे-4, दिनांक 24-1-1992]

**टिप्पणी (1)**- चिकित्सा परिचर्या (इलाज) कराने के उद्देश्य से आश्रित की क्या परिभाषा होगी यह कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है। इसलिए ऐसे मामलों में मूल नियम लागू होंगे। मूल नियम 9 (32) के नीचे पूरक नियम 8 के नीचे टिप्पणी के अनुसार आश्रित सदस्य की सभी साधनों से आय सीमा रु. 1275/- नियत की गई है। यह आय सीमा दिनांक 6-9-99 से लागू है।

**टिप्पणी (2)**- मूल नियम 9 (32) के पूरक नियम (8) के नीचे टीप 1 के अनुसार "परिवार" में एक से अधिक पत्नियां मान्य नहीं है।

**4. मान्य चिकित्सा प्रणाली**

कोई भी शासकीय सेवक एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली के बजाय आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्यो-पैथिक अथवा बायोकेमिक चिकित्सा प्रणालियों में से किसी एक प्रणाली में चिकित्सा करवा सकता है और इस चिकित्सा की प्रतिपूर्ति उसी रीति और उसी सीमा तक की जावेगी जो नियमों में निर्धारित है।

ऐसी औषधियों के चिकित्सा देयक प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक के हस्ताक्षर पर तथा परिशिष्ट के बाहर की औषधियों के मामलों में प्राचार्य/आयुर्वेद के सम्भागीय अधिकारी/औषधालय के अधीक्षक के हस्ताक्षरीय स्वीकार किये जायेंगे।

ऐसे औषधालयों का प्रभारी वैद्य, हकीम या होम्योपैथिक अथवा बायोकेमिक डाक्टर प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी होगा। [नियम 12]

**5. मान्य चिकित्सालय**

चिकित्सालय से अभिप्रेत है राज्य शासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित चिकित्सालय या राज्य शासन द्वारा अर्थ-सहायित कोई अन्य चिकित्सालय, जिन्हें इन नियमों के प्रयोजन के लिए चिकित्सालयों के रूप में मान्यता प्रदान की जाये और इसमें प्रसूति गृह भी सम्मिलित है। [नियम 2 (च) ]

**6. उपचार**

शासकीय चिकित्सालयों में उपचार के दौरान प्रत्येक शासकीय सेवक चिकित्सालय में उपलब्ध समस्त चिकित्सा तथा/या शल्य चिकित्सा सुविधाओं का उपभोग बिना मूल्य कर सकेगा, इसमें सम्मिलित हैं—

(1) रोग विज्ञान (पैथालाजिकल), जीवाणु विज्ञान (बैक्टीरियालाजिकल), एक्स-रे विज्ञान (रेडियोलाजी)।

(2) ऐसी औषधियों, टीकों (वैक्सीनों) सीरा तथा अन्य चिकित्सा पदार्थों की पूर्ति, जो सामान्यतया चिकित्सालय में उपलब्ध है।

(3) ऐसी परिचर्या जिसकी सामान्यतः व्यवस्था चिकित्सालय द्वारा अन्तर्वासी रोगियों (Indoor patients) के लिये की जाती है।

(4) रुधिराधान (खून देना)।

(5) परानील लोहित प्रकाश (बिजली से सिकाई)।

(6) महिलाओं के मामले में-

(क) प्रसूति के दौरान उपचार जिसमें गर्भपात, स्राव उपचार, तथा

(ख) दूश देना,

शामिल है। [नियम 2 (झ) ]

## 7. चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय की सीमा

प्रत्येक शासकीय कर्मचारी चिकित्सा परिचर्या, उपचार, स्थान तथा खुराक के सम्बन्ध में उसके द्वारा किये गये व्यय की निम्नलिखित सीमा तक प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा :—

(1) औषधियों की खरीद पर हुआ व्यय-**सम्पूर्ण**।

(2) मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के लिये बीमारी की प्रारम्भिक अवस्था में केवल 6 माह की अवधि तक और उसके पश्चात् केवल उस स्थिति में जबकि रोगी का रोग जटिल हो जाये और उसे चिकित्सालय में भरती कर दिया गया हो, इन्सुलिन की खरीद पर हुआ व्यय—**सम्पूर्ण**।

(3) आक्सीजन देने में हुआ व्यय—**संपूर्ण**।

(4) रक्त खरीद पर हुआ व्यय—**सम्पूर्ण**।

(5) महिला शासकीय कर्मचारी द्वारा अपनी प्रसूति के दौरान अपना उपचार करवाने में किया गया व्यय—**सम्पूर्ण**।

(6) चिकित्सालय में कमरा किराये पर लेने पर हुआ व्यय—

(अ) चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में—**सम्पूर्ण व्यय**, तथा

(ब) अन्य मामले में—**पचास प्रतिशत**।

(7) शल्य क्रिया तथा रोग सम्बन्धी (पैथालाजिकल), जीवाणु सम्बन्धी (बैक्टीरियालाजिकल), क्ष-किरण सम्बन्धी तथा अन्य परीक्षणों पर जो कि प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा आवश्यक समझे जायें और प्रमाणित किया जाय, पर किया गया व्यय—**सम्पूर्ण**।

(8) विकलांग शासकीय सेवकों को केलिपर कृत्रिम अंग, विकृत पैर के जूते, विकलांग पट्टियाँ, गर्दन की कालर आदि आवश्यक उपकरण पहली बार शासन के व्यय पर दिये जायेंगे।

[नियम 7 (1), (2) एवं (3)]

## 8. प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी जो चिकित्सा देयकों पर हस्ताक्षर/प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत हैं

(अ) **पी. व्ही. एम. एस. सूची में सम्मिलित दवाईयों के मामले में**— सिविल सर्जन, सहायक सर्जन या सहायक चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय के अध्यापक वर्ग का ऐसा सदस्य जो ऐसे महाविद्यालयों से संलग्न चिकित्सालयों में रोगियों का उपचार करता हो एवं परिवार नियोजन के चिकित्सक;

(ब) पी. व्ही. एम. एस. सूची से बाहर की औषधियों के मामले में प्रमाण पत्र (फार्म 2) पर अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर के अतिरिक्त सिविल सर्जन अब नया पदनाम मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर होना चाहिये। [नियम 8 (2)]

## 9. राज्य के बाहर उपचार-प्रक्रिया

जहां सम्बन्धित चिकित्सा परिचारक की यह राय हो कि अमुक रोगी के मामले में विशेषीकृत



उपचार की आवश्यकता है और वह उसके चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है, तो उसे वह प्रथम सिविल सर्जन को प्रेषित (Refer) करेगा। सिविल सर्जन संतुष्ट होने पर मामले को नजदीक के चिकित्सा महाविद्यालय में जांच हेतु भेजेगा। यदि उस चिकित्सा महाविद्यालय के विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि रोगी को जिस स्तर के उपचार की आवश्यकता है वह उस महाविद्यालय में अथवा राज्य के अन्य महाविद्यालयों में भी उपलब्ध नहीं है तो वह ऐसे प्रकरण को संचालक, चिकित्सा शिक्षा को निर्दिष्ट करेगा। यदि संचालक चिकित्सा शिक्षा की संतुष्टि हो जाय कि ऐसे रोगी के इलाज की चिकित्सा राज्य के अन्दर उपलब्ध नहीं है तो वह राज्य के बाहर उपचार की अनुमति देने हेतु सक्षम है। ऐसे रोगी के साथ सहायता के लिये एक व्यक्ति को ले जाने की भी अनुमति दी जायेगी।

इस प्रकार दी गई अनुमति के अधीन शासकीय सेवक को निम्नानुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जावेगी :—

(1) रोगी एवं जहाँ आवश्यक हो परिचारक को उस श्रेणी का रेल/बस किराया जिसकी शासकीय सेवक को नियमानुसार पात्रता है अथवा उससे निचली श्रेणी का वास्तविक रेल/बस किराया जिसमें यात्रा की गई हो।

(2) चिकित्सकीय उपचार पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति उसी सीमा तक होगी जिस सीमा तक राज्य के शासकीय चिकित्सालय में उपचार कराने पर प्राप्त होती अर्थात् म. प्र. चिकित्सा नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत।

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग क्रमांक 2526/4915/XVII/मे.-4, दिनांक 30-9-1983]

## 10. मरीज को हवाई जहाज से ले जाने की अनुमति

जो हवाई यात्रा करने के पात्र हैं, उन्हें हवाई यात्रा करने की अनुमति तो दी जा सकती है, किन्तु आपात मामलों में अन्य मरीज को भी चिकित्सक की सलाह पर हवाई जहाज से ले जाने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसी अनुमति देने के अधिकार विभागाध्यक्षों/आयुक्तों/संभागीय अधिकारियों/क्षेत्रीय अधिकारियों/कलेक्टरों को प्रदत्त किये गये हैं।

[प्राधिकार- वित्तीय अधिकार पुस्तिका जिल्द-एक सेक्शन-एक, सरल क्रमांक 28]

## 11. निजी चिकित्सालयों को मान्यता तथा फीस का निर्धारण

(1) (1) एस्कार्ट हार्ट हास्पिटल, नई दिल्ली, (2) बत्रा हास्पिटल, नई दिल्ली, (3) अपोलो हास्पिटल, हैदराबाद, (4) बाम्बे हास्पिटल, मुम्बई (5) इन्द्रप्रस्थ अपोलो हास्पिटल, नई दिल्ली, (6) मेट्रो हास्पिटल, नोएडा, (7) मेडिविन हास्पिटल, हैदराबाद एवं (8) लीलावती हास्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर, मुम्बई को राज्य शासन के कर्मचारियों/अधिकारियों के कारेनरी, ओरेटरी एवं बायपास उपचार के लिए दिनांक 29-8-2001 से आगामी तीन वर्षों के लिए मान्यता प्रदान की है तथा तदनुसार अपोलो हास्पीटल, बिलासपुर को भी आगामी तीन वर्षों के लिए मान्यता दी गई है।

(2) उक्त संस्थाओं में उपचार करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति अधिकतम निम्नलिखित दरों पर अथवा वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो, की सीमा तक की जावेगी। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी इससे अधिक महंगी चिकित्सा इन मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में से किसी में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा। उपचार हेतु जाने के पूर्व नियमानुसार संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगी :-